	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	0.555 हे०, खसरा नम्बर 1551 रकबा 0.5120 हे०, खसरा नम्बर 3082/323 रकबा 2.9361 हे० में रास्ते का प्रावधान रखते हुए वादी व प्रतिवादीगण नं० 2,3,4 एवं 7 लगायत 12 के मध्य कब्जा एवं हिस्सा अनुसार काई मिलान एवं बाउण्डस विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढागौड़जी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मय नक्शा के दो प्रतियो में न्यायालय हाजा में पेश करे। प्राथमिक डिक्री पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 4.3.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं) 4/3/2022 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे ....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 23/3/2022 को पेश 23/3/2022 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे ....पर हैं। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 24/3/2022 को पेश	निशान लाल
24.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उपस्थित। तहसीलदार गुढा गौड़जी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस श्रवण की गई। वादी व प्रतिवादीगण वकील को विभाजन प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं है। वादी व प्रतिवादीगण वकील ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादी व प्रतिवादीगण वकील विभाजन प्रस्ताव दिनांक 8.3.22 के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। विस्तृत अंतिम डिक्री व निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 24/3/22 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी	वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन का ऐतराज नहीं है (हस्ताक्षर) प्रति० नं० 2,3,5,7, 8,9,10,11,12 विभाजन प्रस्ताव के अनुसार F.D जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:32:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0- 233/2021 दर्ज दिनांक:- 19.08.2021

जी.सी.एम.एस. नं. 2021/547 निर्णय दिनांक : 24.03.2022

किशनलाल बनाम देवीप्रसाद आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम गुढा गौड़जी पटवार हल्का गुढा गौड़जी के भूमि ख.नं. 324 रकबा 0.555 है0, खसरा नं0 1551 रकबा 0.5120 है0, खसरा नं0 3082/323 रकबा 2.9361 है0 में वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 2, 3, 4 एवं 7 लगायत 12 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार गुढा गौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 15.02.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढा गौड़जी से पत्र कमांक:- भू0अ0/2022/512 दिनाक 08.03.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.03.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.03.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/22

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:32:53 IST
Reason: SelfAttested